"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 449] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 अगस्त 2014— श्रावण 17, शक 1936

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 9-41/2013/ज. नि./42. — छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013) की धारा 27 की उप-धारा (2) सहपठित धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाये गये निम्नलिखित विनियम एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (तृतीय पक्ष मूल्यांकक) विनियम, 2014

1. संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति और प्रारंभ

1.1 ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (तृतीय पक्ष मूल्यांकक) विनियम, 2014 कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 (यहां इसके आगे "अधिनियम" निर्दिष्ट) के अधीन युवाओं के पूर्व ज्ञान या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण के आधार पर अर्जित कौशल का मूल्यांकन करने के प्रयोजन के लिए राज्य प्राधिकरण के साथ पंजीकृत प्रत्येक तृतीय पक्ष मूल्यांकक, और तृतीय पक्ष मूल्यांकक के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन करने वाले निगमित निकायों, सरकारी विभागों, मिशनों और सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय की घटक इकाईयों, पर लागू होंगे :

परंतु यह कि ये विनियम भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीनस्थ रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (यहां इसके आगे "महानिदेशालय" निर्दिष्ट) द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पंजीकृत या पैनलित मूल्यांकक निकाय (असेसिंग बॉडी) पर भी लागू होंगे, और ऐसा मूल्यांकक निकाय प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत तृतीय पक्ष मूल्यांकक माना जायेगा।

1.3 ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. तृतीय पक्ष मूल्यांकक के चयन आदि की प्रक्रिया

2.1 तृतीय पक्ष मूल्यांकक के चयन, पंजीयन, मूल्यांकन, या नवीनीकरण अथवा पंजीयन के निरस्तीकरण की प्रक्रिया इस प्रयोजन हेतु कार्यकारिणी समिति द्वारा गठित सशक्त समिति द्वारा यथा-अधिकथित होगी, और इसमें पंजीयन की पात्रता सम्मिलित होगी :

परंतु यह कि ऐसी प्रक्रिया, पंजीयन की पात्रता सहित, ऐसी होगी जैसी विनियम 1.2 के परंतुक के अधीन तृतीय पक्ष मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत माने गये मूल्यांकक निकाय के समान स्तर और पात्रता वाले तृतीय पक्ष मूल्यांककों का चयन सुनिश्चित करें, और इसे कार्यकारिणी समिति के समक्ष उसकी आगामी बैठक में रखी जायेगी, और यदि कार्यकारिणी समिति कोई उपांतरण करने या ऐसी प्रक्रिया को नहीं अपनाने का निर्णय लेती है, तो तत्पश्चात्, पूर्व में किये गये किसी कार्य की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, प्रक्रिया यथा-उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या निष्प्रभावी होगी :

परंतु यह और कि ऐसी प्रक्रिया राज्य प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी

2.2 विनियम 1.2 के परंतुक के अधीन तृतीय पक्ष मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत माने गये मूल्यांकक निकाय के चयन, पंजीयन, मूल्यांकन, या नवीनीकरण अथवा पंजीयन के निरस्तीकरण के लिए महानिदेशालय द्वारा उसके साथ पंजीयन या पैनलीकरण के लिए अधिकथित की गई के सिवाय अन्य कोई प्रक्रिया नहीं होगी :

परंतु यह कि विनियम 2.1 के अधीन गठित सशक्त समिति ऐसे मूल्यांकक निकायों के लिए पृथक् प्रक्रिया अधिकथित करने के लिए सक्षम होगी, और ऐसी प्रक्रिया के संबंध में विनियम 2.1 के उपबंध, यथायोग्य परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

3. **पंजीयन की पात्रता और पूर्ति न होने का परिणाम**

3.1 विनियम 2.1 या 2.2 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अंतर्गत पात्रता के अतिरिक्त, पंजीयन (विनियम 1.2 के परंतुक के अधीन मूल्यांकक निकाय के माने गये पंजीयन सहित) की पात्रता में निम्नलिखित भी सम्मिलित होंगे :-

(क) राज्य प्राधिकरण के साथ पंजीकृत प्रत्येक तृतीय पक्ष मूल्यांकक और इस रूप में पंजीकृत माना गया प्रत्येक मूल्यांकक निकाय ऐसी प्रत्येक परीक्षा जिसके आधार पर उसके द्वारा अर्जित कौशलों का अधिनियम के अंतर्गत मूल्यांकन किया गया हो, के परिणाम राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्देशित इलेक्ट्रॉनिक रूप में व रीति से, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सहित, राज्य प्राधिकरण को स्वयं के व्यय-भार पर उपलब्ध करायेगा; और

(ख) राज्य प्राधिकरण के साथ पंजीकृत प्रत्येक तृतीय पक्ष मूल्यांकक और इस रूप में पंजीकृत माना गया प्रत्येक मूल्यांकक निकाय ऐसे अन्य सूचना और अभिलेख जैसे राज्य प्राधिकरण निर्देशित करे, ऐसे रूप में और रीति से जैसे राज्य प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, संधारित करेगा और राज्य प्राधिकरण को, या किसी जिला प्राधिकरण को, उपलब्ध करायेगा।

3.2 विनियम 2.1 या 2.2 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अंतर्गत किसी पात्रता, या विनियम 3.1 के अधीन किसी पात्रता, की पूर्ति न होने की दशा में-

(क) संबंधित तृतीय पक्ष मूल्यांकक पंजीयन के लिए अपात्र हो जायेगा, और

(ख) संबंधित मूल्यांकक निकाय, जिसे तृतीय पक्ष मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत माना गया है, ऐसा माने जाने के लिए अपात्र हो जायेगा :

परंतु यह कि ऐसी अपात्रता की दशा में राज्य प्राधिकरण-

(क) ऐसे किसी तृतीय पक्ष मूल्यांकक के पंजीयन को निलंबित या निरस्त, या उसके नवीनीकरण से इन्कार, कर सकेगा, और

(ख) ऐसे किसी मूल्यांकक निकाय का राज्य प्राधिकरण के साथ माना गया पंजीयन तत्पश्चात् न होना मान सकेगा।

Naya Raipur, the 8th August 2014

NOTIFICATION

No. F. 9-41/2013/MPP/42.— The following Regulations made by the Chhattisgarh State Skill Development Authority, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with clause (g) of sub-section (1) of section 11 of the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013 (No. 17 of 2013), are hereby published for information of the public.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
AMRITA BECK, Deputy Secretary.

Chhattisgarh State Skill Development Authority (Third Party Assessor) Regulations, 2014

1. **Short title, application and commencement**

1.1 These Regulations may be called Chhattisgarh State Skill Development Authority (Third Party Assessor) Regulations, 2014.

1.2 These Regulations shall apply to every Third Party Assessor registered with, and to Body Corporates and government departments, missions and other constituent units of government or of any public body applying for registration as a Third Party Assessor with, the State Authority for the purpose of assessing skills attained, on the basis of prior knowledge or training provided by a Vocational Training Provider, under the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013 (hereinafter referred to as the "Act"):

Provided that these Regulations shall also apply to an Assessing Body registered with or empanelled by the Directorate General of Employment and Training under Government of India's Ministry of Labour and Employment (hereinafter referred to as the "Directorate General") for the State of Chhattisgarh, and such an Assessing Body shall be deemed to be a Third Party Assessor registered with the State Authority.

1.3 These Regulations shall take effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Procedure for selection etc. of Third Party Assessor**

2.1 The procedure for selection, registration, evaluation, or renewal or cancellation of registration of a Third Party Assessor shall be such as may be laid down from time to time by an empowered committee set up for the purpose by the Executive Committee, and shall include the eligibility for registration:

Provided that such procedure, including eligibility for registration, shall be such as would secure selection of Third Party Assessors of like standards and qualification as an Assessing Body deemed to be registered as a Third Party Assessor under the proviso to Regulation 1.2, and the same shall be laid before the Executive Committee at its next meeting, and if the Executive Committee decides to make any modification or that the procedure should not be adopted, the procedure shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, without prejudice to the validity of anything previously done:

Provided further that such procedure shall be published on the website of the State Authority.

2.2 There shall be no separate procedure for selection, registration, evaluation, or renewal or cancellation of registration of an Assessing Body deemed to be registered as a Third Party Assessor under the proviso to Regulation 1.2, other than what may be laid down by the Directorate General for registration or empanelment with itself:

Provided that the empowered committee set up under Regulation 2.1 shall be competent to lay down a separate procedure for such Assessing Bodies, and the provisions of Regulation 2.1 shall apply, *mutatis mutandis*, in respect of such procedure.

3. Eligibility for registration and consequence of non-fulfilment

3.1 In addition to any eligibility under the procedure laid down under Regulations 2.1 or 2.2, the eligibility for registration (including the deemed registration of an Assessing Body under the proviso to Regulation 1.2) shall also include the following:—

(a) Every Third Party Assessor registered with the State Authority and every Assessing Body deemed to be so registered shall furnish to the State Authority, at its own cost, in electronic form and manner directed by the State Authority, under electronic signature, the results of each examination on the basis of which it has assessed, under the Act, skills attained; and

(b) Every Third Party Assessor registered with the State Authority and every Assessing Body deemed to be so registered shall maintain and furnish to the State Authority, or to any District Authority, in such form and manner as the State Authority may specify, such other information and records as the State Authority may direct.

3.2 In the event of non-fulfilment of any eligibility under the procedure laid down under Regulations 2.1 or 2.2, or of any eligibility requirement under Regulation 3.1,—

(a) the Third Party Assessor concerned shall become ineligible for registration, and

(b) the Assessing Body concerned, deemed to be registered as a Third Party Assessor, shall become ineligible for being so deemed:

Provided that in case of such ineligibility, the State Authority may—

(a) suspend or cancel, or deny renewal to, registration of any such Third Party Assessor, and

(b) no longer deem any such Assessing Body as registered with the State Authority.

नया रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 9-41/2013/ज.नि./42.-छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013) की धारा 27 की उपधारा (2) सहपठित धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाये गये निम्नलिखित विनियम एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (शिकायत निवारण तंत्र) विनियम, 2014

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा प्रयुक्ति

1.1 ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (शिकायत निवारण तंत्र) विनियम, 2014 कहलायेंगे।

1.2 ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

1.3 ये निम्नलिखित पर लागू होंगे :-

(क) जिला प्राधिकरण, या राज्य प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013) (जिसे यहां इसके आगे ''अधिनियम'' निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी, या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के किसी निर्णय, आदेश या कार्यवाही से व्यथित कौशल विकास हेतु आवेदक या कौशल विकास हेतु नामांकित व्यक्ति; और

(ख) मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा जिला प्रधिकरण के किसी निर्णय या आदेश या कार्यवाही से व्यथित कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता या तृतीय पक्ष मूल्यांकक :

परंतु यह कि ''व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता'' पद में ऐसे सभी व्यक्ति, निगमित निकाय अथवा व्यक्तियों के समूह जिनके संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता) विनियम, 2013 प्रयुक्त हैं सम्मिलित होंगे :

परंतु यह और कि ''तृतीय पक्ष मूल्यांकक'' पद में ऐसे सभी व्यक्ति तथा निगमित निकाय जिनके संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (तृतीय पक्ष मूल्यांकक) विनियम, 2014 प्रयुक्त हैं, सम्मिलित होंगे।

2. कौशल विकास हेतु आवेदक या नामांकित व्यक्ति की शिकायत का निवारण (प्रतितोषण)

2.1 अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए-

(क) मुख्य कार्यपालन अधिकारी वह प्राधिकारी होगा जिसे जिला प्राधिकरण, या राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अंतर्गत पदाभिहित किसी अधिकारी, या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के निर्णय, आदेश या कार्यवाही से व्यथित कौशल विकास हेतु आवेदक या कौशल विकास हेतु नामांकित व्यक्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा; और

(ख) राज्य सरकार के जनशक्ति नियोजन विषय पर कार्य का संपादन करने वाले विभाग का भारसाधक सचिव पुनर्विलोकन प्राधिकारी होगा।

3. व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता या तृतीय पक्ष मूल्यांकक की शिकायतों का निवारण (प्रतितोषण)

3.1 अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) के प्रयोजन के लिए-

(क) राज्य सरकार के जनशक्ति नियोजन विषय पर कार्य का संपादन करने वाले विभाग का भारसाधक सचिव वह प्राधिकारी होगा जिसे, यथास्थिति, मुख्य कार्यपालन अधिकारी या जिला प्रधिकरण, के किसी निर्णय, आदेश या कार्यवाही से व्यथित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता या तृतीय पक्ष मूल्यांकक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा; और

(ख) कार्यकारिणी समिति द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित उप-समिति पुनर्विलोकन प्राधिकारी होगी।

4. शिकायत के निवारण (प्रतितोषण) के लिए इलेक्ट्रॉनिक रीति से अभ्यावेदन की प्रस्तुति

4.1 इन विनियमों के अधीन शिकायत के निवारण (प्रतितोषण) के लिए सक्षम प्राधिकारी या पुनर्विलोकन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाला अभ्यावेदन राज्य प्राधिकरण की वेबसाईट पर इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध इंटरनेट आधारित सूचना प्रणाली से इलेक्ट्रॉनिक रीति से प्रस्तुत किया जा सकेगा।

Naya Raipur, the 8th August 2014

NOTIFICATION

No. F. 9-41/2013/MPP/42.—The following Regulations made by the Chhattisgarh State Skill Development Authority, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with section 17 of the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013 (No. 17 of 2013), are hereby published for information of the public.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMRITA BECK, Deputy Secretary.

Chhattisgarh State Skill Development Authority (Grievance Redressal Mechanism) Regulations, 2014

1. **Short title, commencement and application**

1.1 These Regulations may be called Chhattisgarh State Skill Development Authority (Grievance Redressal Mechanism) Regulations, 2014.

1.2 These shall take effect from the date of their publication in the Official Gazette.

1.3 These shall apply to the following:—

(a) Any applicant for skill development or person enrolled for skill development, aggrieved by a decision, an order or an action on the part of a District Authority, or an officer designated by the State Authority under sub-section (1) of section 4 of the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013 (No. 17 of 2013) (hereinafter referred to as the "Act"), or a Vocational Training Provider; and

(b) Any Vocational Training Provider or Third Party Assessor aggrieved by a decision or an order or an action on the part of the Chief Executive Officer or a District Authority:

Provided that the expression "Vocational Training Provider" shall include all persons, Body Corporates or groups of persons in relation to whom the Chhattisgarh State Skill Development Authority (Vocational Training Provider) Regulations, 2013 apply:

Provided further that the expression "Third Party Assessor" shall include all persons and Body Corporates to whom the Chhattisgarh State Skill Development Authority (Third Party Assessor) Regulations, 2014 apply.

2. **Redress of grievances of an applicant or person enrolled for skill development**

2.1 For the purposes of sub-section (1) of section 17 of the Act, —

(a) the Chief Executive Officer shall be the authority to whom an applicant for skill development or person enrolled for skill development aggrieved by a decision, an order or an action on the part of a District Authority, or an officer designated by the State Authority under sub-section (1) of section 4 of the Act, or a Vocational Training Provider, may represent; and

(b) the Secretary to the State Government in charge of the Department dealing with business on the subject of manpower planning shall be the reviewing authority.

3. Redress of grievances of a Vocational Training Provider or Third Party Assessor

3.1 For the purposes of sub-section (2) of section 17 of the Act—

(a) the Secretary to the State Government in charge of the Department dealing with business of the subject of manpower planning shall be the authority to whom a Vocational Training Provider or a Third Party Assessor aggrieved by a decision or an order or an action on the part of the Chief Executive Officer or a District Authority, as the case may be, may represent; and

(b) a sub-committee constituted for this purpose by the Executive Committee shall be the reviewing authority.

4. Submission of representation through electronic means for redress of grievances

4.1 The representation to be submitted before the competent authority or reviewing authority for redress of grievances under these Regulations may be submitted through electronic means through Internet based information system available for this purpose on the website of the State Authority.

नया रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 9-41/2013/ज.नि./42.-छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास के अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013) की धारा 27 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाये गये निम्नलिखित विनियम एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (राज्य कौशल विकास निधि) विनियम, 2014

1. संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति तथा प्रारंभ

1.1 ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (राज्य कौशल विकास निधि) विनियम, 2014 कहलायेंगे।

1.2 ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

1.3 राज्य कौशल विकास निधि, जिसे इसमें इसके पश्चात् निधि निर्दिष्ट किया गया है, के संचालन एवं संधारण की रीति ऐसी होगी जैसी इन विनियमों में उपबन्धित है।

2. राज्य कौशल विकास निधि

2.1 छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013), (जिसे यहां इसके आगे ''अधिनियम'' निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 18 में विनिर्दिष्ट स्त्रोतों से निधि हेतु प्राप्त धनराशियां भारतीय रिजर्व बैंक, 1934 (क्रमांक 2 सन् 1934) की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किसी भी बैंक में खोले गये एक या अधिक खातों में जमा की जायेगी :

परन्तु यह कि इन विनियमों में कोई भी बात छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण, जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण निर्दिष्ट किया गया है, को ऐसी जमा की गई धनराशियों को बचत या निवेश के लिए किसी वित्तीय उपकरण में राज्य सरकार के वित्त विभाग की पूर्व सहमति से विनियोजित करने से निवारित नहीं करेगी :

परन्तु यह और कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऐसी अधिकतम राशि जैसी कार्यकारिणी समिति प्राधिकृत करे की सीमा तक नगद में एक अग्रदाय खाते का संधारण कारित कर सकेगा, जिसका संधारण एवं संचालन राज्य सरकार में अग्रदाय खातों को शासित करने वाले उपबन्धों के अनुरूप, ऐसे उपातंरणों सहित जैसे कार्यकारिणी समिति समुचित माने और अनुमोदित करे, किया जायेगा।

2.2 ऊपर विनियम 2.1 में यथा उपबन्धित कोई खाता मुख्य कार्यपालन अधिकारी और प्राधिकरण के ऐसे अन्य कर्मचारी जैसा कार्यकारिणी समिति नियत करे द्वारा संयुक्ततः किया जायेगा :

परन्तु यह कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुशंसा पर कार्यकारिणी समिति ऐसे संयुक्त खाते को संचालित करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी के स्थान पर प्राधिकरण के किसी अन्य कर्मचारी को प्राधिकृत कर सकेगी :

परन्तु यह और कि इस प्रकार प्राधिकृत कोई कर्मचारी ऐसे खाते का संचालन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निदेशों के अधीन करेगा।

2.3 प्राधिकरण के लेखाओं का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसमें प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन सम्मिलित होंगे, संबंधित वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के पहले तैयार और अनुमोदित किया जायेगा :

परंतु यह कि, इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, जहां शासी परिषद् संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति निर्मित हुई है जिसमें ऐसा करने की आवश्यकता है, शासी परिषद् को किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राक्कलित व्यय के संबंध में लेखाओं के वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुमोदन के लिए अधिनियम के अधीन विहित प्रक्रिया पूर्ण होने तक निधि से अग्रिम आहरण प्राधिकृत करने की शक्ति होगी।

2.4 निधि से भुगतान धनराशि की उपलब्धता और लेखाओं के वार्षिक वित्तीय-विवरण में प्रावधान अथवा ऊपर विनियम 2.3 के परंतुक के अधीन प्राधिकार, के अध्यधीन होंगे, और व्यय के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुरूप किये जाएंगे :

परन्तु यह कि, लेखाओं के वार्षिक वित्तीय-विवरण में पर्याप्त प्रावधान का अभाव होते हुए भी, जहां मुख्य कार्यपालन अधिकारी की राय में अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन के हित में किसी व्यय को स्वीकृत करने के लिए तत्काल निर्णय लिया जाने की स्थिति निर्मित हो गई है, वह इसके लिए स्वीकृति की अनुशंसा कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष को कर सकेगा, और अध्यक्ष, यदि संतुष्ट हो कि ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी को व्यय स्वीकृत करने के लिए और ऐसी स्वीकृति को अनुसमर्थन और लेखाओं के वार्षिक वित्तीय विवरण में उपयुक्त प्रावधान करने के लिए कार्यकारिणी समिति और, तत्पश्चात्, शासी परिषद् के समक्ष उनकी अगली बैठकों में रखने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

2.5 जहां किसी कारण उपगत किया जाने वाला कुल व्यय रुपये पच्चीस लाख से अनधिक है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी उसे स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

2.6 जहां किसी कारण उपगत किया जाने वाला कुल व्यय रुपये पच्चीस लाख से अधिक है, कार्यकारिणी समिति उसे स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगी :

परन्तु यह कि जहां मुख्य कार्यपालन अधिकारी की राय में अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन के हित में किसी व्यय को स्वीकृत करने के लिए तत्काल निर्णय लिया जाने की स्थिति निर्मित हो गई है, वह इसके लिए स्वीकृति की अनुशंसा कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष को कर सकेगा, और अध्यक्ष, यदि संतुष्ट हो कि ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी को व्यय स्वीकृत करने के लिए और ऐसी स्वीकृति को अनुसमर्थन के लिए कार्यकारिणी समिति के समक्ष उसकी अगली बैठक में रखने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

Naya Raipur, the 8th August 2014

NOTIFICATION

No. F. 9-41/2013/MPP/42.— The following Regulations made by the Chhattisgarh State Skill Development Authority, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with section 18 of the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013 (No. 17 of 2013), are hereby published for information of the public.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMRITA BECK, Deputy Secretary.

Chhattisgarh State Skill Development Authority (State Skill Development Fund) Regulations, 2014

1. Short title, application and commencement

1.1 These Regulations may be called Chhattisgarh State Skill Development Authority (State Skill Development Fund) Regulations, 2014.

1.2 These shall take effect from the date of their publication in the Official Gazette.

1.3 The manner of maintenance and operation of the State Skill Development Fund, hereinafter referred to as the Fund, shall be as provided in these Regulations.

2. State Skill Development Fund

2.1 The moneys received for the Fund from the sources specified in section 18 of the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013 (No. 17 of 2013), hereinafter referred to as the Act, shall be credited to one or more accounts opened in any of the banks included in the Second Schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934 (No. 2 of 1934):

Provided that nothing in these Regulations shall prevent the Chhattisgarh State Skill Development Authority, hereinafter referred to as the Authority, from deploying such credited moneys in any financial instrument for saving or investment with the prior concurrence of the State Government in the Finance Department:

Provided further that the Chief Executive Officer may cause to be maintained an imprest account in cash of up to such maximum amount as the Executive Committee may authorise, which shall be maintained and operated in accordance with the provisions governing imprest accounts in the State Government, with such modifications as may be deemed appropriate and approved by the Executive Committee.

2.2 Any account as provided for in Regulation 2.1 above shall be operated jointly by the Chief Executive Officer and such other employee of the Authority as the Executive Committee may appoint:

Provided that the Executive Committee may, on the recommendation of the Chief Executive Officer, authorise any other employee of the Authority to operate such joint account in place of the Chief Executive Officer:

Provided further that any employee so authorised shall operate such account under the directions of the Chief Executive Officer.

2.3 The Annual Financial Statement of Accounts of the Authority, which shall include the annual financial estimates of the Authority for the financial

year, shall be prepared and approved before commencement of the corresponding financial year:

Provided that, notwithstanding anything in these Regulations, the Governing Council shall have the power to authorise appropriation from the Fund in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed under the Act for approval of the Annual Financial Statement of Accounts, where it is satisfied that the situation so demands.

2.4 Payments from the Fund shall be subject to the availability of funds and provision in the Annual Financial Statement of Accounts or authorisation under the proviso to Regulation 2.3 above, and shall be made as per sanction accorded for expenditure by the authority competent to do so:

Provided that, notwithstanding absence of adequate provision in the Annual Financial Statement of Accounts, where in the opinion of the Chief Executive Officer the situation demands that immediate decision be taken on sanctioning any expenditure in the interest of carrying out the purposes of the Act, he may recommend sanction therefor to the Chairperson of the Executive Committee, and the Chairperson, if satisfied that the situation so demands, may authorise the Chief Executive Officer to sanction the expenditure and to lay such sanction for ratification and making suitable provision and modification in the Annual Financial Statement of Accounts before the Executive Committee and, thereafter, the Governing Council at their next meetings.

2.5 In case the total expenditure to be incurred on any account is not in excess of Rupees twenty-five lakhs, the Chief Executive Officer shall be the authority competent to sanction the same.

2.6 In case the total expenditure to be incurred on any account exceeds Rupees twenty-five lakhs, the Executive Committee shall be the authority competent to sanction the same:

Provided that where in the opinion of the Chief Executive Officer the situation demands that immediate decision be taken on sanctioning any such expenditure in the interest of carrying out the purposes of the Act, he may recommend sanction therefor to the Chairperson of the Executive Committee, and the Chairperson, if satisfied that the situation so demands, may authorise the Chief Executive Officer to sanction the expenditure and to lay such sanction for ratification before the Executive Committee at its next meeting.

नया रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 9-41/2013/ज.नि./42.-छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास के अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013) की धारा 27 की उपधारा (2) सहपठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाये गये निम्नलिखित विनियम एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (जिला कौशल विकास निधि) विनियम, 2014

1. **संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति तथा प्रांरभ**

1.1 ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (जिला कौशल विकास निधि) विनियम, 2014 कहलायेंगे।

1.2 ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

1.3 जिला कौशल विकास निधि, जिसे इसमें इसके पश्चात् जिला निधि निर्दिष्ट किया गया है, के संचालन एवं संधारण की रीति ऐसी होगी जैसी इन विनियमों में उपबन्धित है।

2. **जिला कौशल विकास निधि**

2.1 छत्तीसगढ़ युवायों के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013), जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम निर्दिष्ट किया गया है, की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्त्रोतों से निधि हेतु प्राप्त धनराशियां भारतीय रिजर्व बैंक, 1934 (क्रमांक 2 सन् 1934) की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किसी भी बैंक में खोले गये एक या अधिक खातों में जमा की जायेगी :

परन्तु यह कि जिला प्राधिकरण नगद में एक अग्रदाय खाते का संधारण कारित कर सकेगा, जिसका संधारण एवं संचालन राज्य सरकार में अग्रदाय खातों को शासित करने वाले उपबन्धों के अनुरूप, यथा आवश्यक उपातंरणों सहित, किया जायेगा।

2.2 ऊपर विनियम 2.1 में यथा उपबन्धित कोई खाता जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य-सचिव द्वारा संयुक्ततः किया जायेगा :

परन्तु यह कि जिला प्राधिकरण, उसके अध्यक्ष की अनुशंसा पर, ऐसे संयुक्त खाते को संचालित करने के लिए अध्यक्ष के स्थान पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को प्राधिकृत कर सकेगा।

2.3 जिला प्राधिकरण के लेखाओं का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसमें प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन सम्मिलित होंगे, संबंधित वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के पहले तैयार और अनुमोदित किया जायेगा :

परंतु यह कि, इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, जहां जिला प्राधिकरण संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति निर्मित हुई है जिसमें ऐसा करने की आवश्यकता है, वह मुख्य कार्यपालन अधिकारी को किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राक्कलित व्यय के संबंध में लेखाओं के वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुमोदन के लिए अधिनियम के अधीन विहित प्रक्रिया पूर्ण होने तक निधि से अग्रिम आहरण प्राधिकृत करने की अनुशंसा कर सकेगा, और ऐसी अनुशंसा की प्राप्ति पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी उसे स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकेगा, अथवा उसे ऐसे उपांतरणों सहित स्वीकृत कर सकेगा जैसे वह उचित माने :

परंतु यह कि, पूर्ववर्ती परंतुक के अधीन प्रत्येक स्वीकृति मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में रखी जायेगी, और कार्यकारिणी समिति को स्वीकृति में ऐसे उपांतरण करने की शक्ति होगी जैसे वह उचित माने।

2.4 निधि से भुगतान धनराशि की उपलब्धता और लेखाओं के वार्षिक वित्तीय-विवरण में प्रावधान अथवा ऊपर विनियम 2.3 के परंतुक के अधीन प्राधिकार, के अध्यधीन होंगे, और व्यय के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुरूप किये जाएंगे :

परन्तु यह कि, लेखाओं के वार्षिक वित्तीय-विवरण में पर्याप्त प्रावधान का अभाव होते हुए भी, जहां जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिसे यहां इसके आगे "अध्यक्ष" निर्दिष्ट किया गया है) की राय में अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन के हित में किसी व्यय को स्वीकृत करने के लिए तत्काल निर्णय लिया जाने की स्थिति निर्मित हो गई है, वह ऐसा व्यय स्वीकृत कर सकेगा और ऐसी स्वीकृति को अनुसमर्थन और लेखाओं के वार्षिक वित्तीय विवरण में उपयुक्त प्रावधान करने के लिए जिला प्राधिकरण के समक्ष उसकी अगली बैठक में रखवायेगा।

2.5 जहां किसी कारण उपगत किया जाने वाला कुल व्यय रुपये दो लाख से अनधिक है, अध्यक्ष उसे स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

2.6 जहां किसी कारण उपगत किया जाने वाला कुल व्यय रुपये दो लाख से अधिक है, कार्यकारिणी समिति उसे स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगी :

परन्तु यह कि जहां किसी कारण उपगत किया जाने वाला कुल व्यय रुपये दस लाख से अधिक है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अनुमोदन भी आवश्यक होगा।

2.7 जिला प्राधिकरण लेखाओं का संधारण, लेखाओं के वार्षिक वित्तीय विवरण की तैयारी, और छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (जिसे यहां इसके आगे "राज्य प्राधिकरण" निर्दिष्ट किया गया है) को प्रतिवेदनों और विवरणियों की प्रस्तुति राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों और निदेशों के अनुरूप करेगा।

2.8 राज्य प्राधिकरण कभी भी किसी जिला निधि के लेखाओं की परीक्षा के लिए वैधानिक संपरीक्षक नियुक्त कर सकेगा।

2.9 किसी जिला निधि के बेहतर संचालन और संधारण के लिए राज्य प्राधिकरण ऐसे निदेश दे सकेगा जैसे वह उचित माने।

Naya Raipur, the 8th August 2014

NOTIFICATION

No. F. 9-41/2013/MPP/42.— The following Regulations made by the Chhattisgarh State Skill Development Authority, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with section 19 of the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013 (No. 17 of 2013), are hereby published for information of the public.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMRITA BECK, Deputy Secretary.

Chhattisgarh State Skill Development Authority (District Skill Development Fund) Regulations, 2014

1. Short title, application and commencement

1.1 These Regulations may be called Chhattisgarh District Skill Development Authority (District Skill Development Fund) Regulations, 2014.

1.2 These shall take effect from the date of their publication in the Official Gazette.

1.3 The manner of maintenance and operation any District Skill Development Fund, hereinafter referred to as District Fund, shall be as provided in these Regulations.

2. District Skill Development Fund

2.1 The moneys received for the District Fund from the sources specified in section 19 of the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013 (No. 17 of 2013), hereinafter referred to as the Act, shall be credited to one or more accounts opened in any of the banks included in the Second Schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934 (No. 2 of 1934):

Provided that the District Authority may cause to be maintained an imprest account in cash, which shall be maintained and operated in accordance with, *mutatis mutandis,* the provisions governing imprest accounts in the State Government.

2.2 Any account as provided for in Regulation 2.1 above shall be operated jointly by the Chairperson and the Member-Secretary of the District Authority:

Provided that the District Authority may, on the recommendation of its Chairperson, authorise the Chief Executive Officer of the Zila Panchayat to operate such joint account in place of the Chairperson.

2.3 The Annual Financial Statement of Accounts of the District Authority, which shall include the annual financial estimates of the District Authority for the financial year, shall be prepared and approved before commencement of the corresponding financial year:

Provided that, notwithstanding the requirement above, the District Authority shall have the power to recommend to the Chief Executive Officer authorisation for appropriation from the District Fund in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed under the Act for approval of the Annual Financial Statement of Accounts, where it is satisfied that the situation so demands, and upon receipt of such recommendation the Chief Executive Officer may either approve or not approve the same, or approve it with such modifications as he may deem fit:

Provided further that any approval under the preceding proviso shall be laid by the Chief Executive Officer before the Executive Committee at its next meeting, and the Executive Committee shall be competent to make such modifications to the approval as it may deem fit.

2.4 Payments from the District Fund shall be subject to the availability of funds and provision in the Annual Financial Statement of Accounts, and shall be made as per sanction accorded for expenditure by the authority competent to do so:

Provided that, notwithstanding absence of adequate provision in the Annual Financial Statement of Accounts, where in the opinion of the Chairperson of the District Authority (hereinafter referred to as the "Chairperson") the situation demands that immediate decision be taken on sanctioning any expenditure in the interest of carrying out the purposes of the Act, he may sanction such expenditure and cause such sanction to be laid, for ratification and making suitable provision and modification in the Annual Financial Statement of Accounts, before the District Authority at its next meeting.

2.5 In case the total expenditure to be incurred on any account is not in excess of Rupees two lakhs, the Chairperson shall be the authority competent to sanction the same.

2.6 In case the total expenditure to be incurred on any account exceeds Rupees two lakhs, the District Authority shall be the authority competent to sanction the same:

Provided that in case the total expenditure to be incurred on any account is in excess of Rupees ten lakhs, the approval of the Chief Executive Officer for sanction would also be required.

2.7 The District Authority shall maintain accounts, prepare Annual Financial Statement of Accounts, and submit reports and returns to the Chhattisgarh State Skill Development Authority (hereinafter referred to as the State Authority) in accordance with instructions and directions issued from time to time by the State Authority.

2.8 The State Authority may, at any time, appoint a statutory auditor for audit of the accounts of any District Fund.

2.9 The State Authority may issue such directions as it may deem fit for better operation and maintenance of any District Fund, for carrying out the purposes of the Act.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.